RAJYA SABHA

Friday, the 17*th August,* 2001/26 *Sravana,* 1923 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*361. *[The Questioner (Shri Yadlapati Venkat Rao) was absent. For answer vide page 22 infra.]*

MR. CHAIRMAN: Question No. 362.

Shri Anil Sharma.

Institution of Mechanical Engineers, Mumbai

*362. SHRI ANIL SHARMA:†
SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to answer to Unstarred Question 705, given in the Rajya Sabha on 27th July, 2001 and state:

(a) the details of the shortcomings found by the Group constituted by teh High Level Committee, in the functioning of the Institution of Mechanical Engineers (India), Mumbai;

(b) on which date three month's temporary suspension of the Institution came into effect; and

(c) the details of the norms laid for permanent recognition of the Instituions like the Institution of Mechanical Engineers (India), Mumbai?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLIMANOHAR JOSHI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The shortcomings found in the functioning of the Institution of Mechanical Engineers (India), Mumbai by the Group constituted by the High Level Committee are given in statement I *(See* below).

---

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Anil Sharma.

(b) The date of effect of the temporary suspension of the examinations being conducted by the Institution of Mechanical Engineers (India), Mumbai came into effect from 23.5.2001, the date of issue of notification.

(c) The recognition is granted on case to case basis by the High Level Committee after examining the comments offered by the All India Council for Technical Education. If required the opinion of expert groups formed by the High Level Committee is also obtained. Recognition of qualifications are subject to review by the High Level Committee.

Statement-I

Shortcomings found by the Group formed by the High Level Committee are as follows:

(i) The Institution of Mechanical Engineers (India), Mumbai i.e. IME is being operated in an ad-hoc manner. No records of all activities are maintained.

(ii) The management of IME is not along accepted norms.

(iii) The IME could not provide documents to convince the Committee that curriculum meetings were held at regular intervals and that the revision of curriculum ever took place.

(iv) IME appears to be reluctant to give full details of the names, qualifications and affiliations of all examiners. It appears that these appointments are done in an ad-hoc fashion. There are no Committee meeting minutes to support the appointments. In fact ' IME has itself stated that they have no records of qualifications of Examiners. Records show that some individuals have been examiners/paper-setters for several (twenty plus) diverse subjects. Like-wise some individuals have examined hundreds of projects. Some examiners do not appear to be degree holders in Mechanical Engineering.

(v) Coaching classes are closely associated with IME—this is plain from the fact that Governing Council has gone on record to thank them. There is no evidence of any contact programmes.

(vi) A few individuals have extensively travelled abroad on IME funds—incurring excessive expenses for short visits. There are no records on the outcome/benefits of these visits.

(vii) The Governing Council and the corporate members have over the years not shown any concern about the affairs of IME—despite being aware that Ministry of Human Resource Development had withdrawn its recognition of IME exams 20 years age. Ministry of Human Resource Development perhaps restored recognition a year later upon a promise by IME to reform its systems but this does not seem to have happened.

(viii) Wim a very poor passing percentage IME seems to have benefited a miniscule percentage (around 1 %) of registered candidates and most of the others have contributed their valuable earnings to the huge cash reserves and assets of IME.

श्री अनिल शर्मा: चेयरमैन सर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के एनेक्श्चर में जो दे रखा है, मैं उसी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। इसमें इन्होंने खुद माना है कि आज शिक्षा में बढ़ते हुए व्यापार की प्रथा चल रही है, शिक्षा में आज प्राइवेट इन्सटीट्यूशन्स बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। आज जहां शिक्षा के अंदर बच्चों के भविष्य की बात है उससे भी ज्यादा माता-पिता का जो धन उसमें लगता है उसकी बात है। माननीय मंत्री जी ने एनेक्शचर में जो दे रखा है, उसमें उन्होंने सीरियस चार्जिज आय व्यय के अनुसार लगा रखें है। । उसमें आठ ऐसे चार्जिज हैं जिनसे खुद लगता है कि इस इंस्टीट्यूशन को कम्पलीट डी-रिकगनाइज कर देना चाहिए, इसकी मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए । क्लॉज चार में इन्होंने लिखा है,

In fact, IME has itself stated that they have no records of qualifications of examiners. Records show that some individuals have been examiners/ paper-setters for several diverse subjects... —

इतने सीरियस चार्जिज इसमें लगा रखे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी मान्यता पूर्ण रूप से समाप्त करने की कोई योजना है?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे इंस्टीटयूशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में सरकार क्या सोच रही है?

डा.मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी , पहली बात तो यह है कि इस प्रश्न की थोड़ी सी पृष्ठभूमि उत्तर देने के लिए है। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि यह बहुत पुरानी एक संस्था है, 67 साल से, 70 साल पहले से यह संस्था चल रही है। इस संस्था ने कुछ परीक्षाएं लेनी शुरू की जो उन लोगों के लिए है जो कहीं काम कर रहे हैं या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन्स में जा नहीं सकते हैं। इसलिए यह मान्यता दी गई वे कुछ कोर्सेज की परीक्षाएं करें और अगर कोई उनके उस डिप्लोमा को पास

कर लो तो वह व्यक्ति इंजीनियर के बराबर हो जायेगा। जो ए एंड बी पार्ट कर ले, वन एंड टू को कर ले तो वह डिप्लोमा के बराबर हो जायेगा, यह एक सुविधा दी गई थी जिससे व्यापक तौर पर टेक्नीकल एजुकेशन का विस्तार हो सके और लोग अपनी क्वालिफिकेशन्स को बढ़ा सकें। लेकिन इस मामले में 1997 में काफी शिकायतें आनी शुरु हुई और जब ये शिकायतें आई तो उन शिकायतो के आधार पर, एक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर उन शिकायतों को लिया गया है । उस जमाने में तब तक यह होता था कि यू.पी.एस.सी.की तरफ से एक असैसमेंट बोर्ड बनता था और यूपी.एस.सी. के अध्यक्ष उसके अध्यक्ष होते थे । उनके पास मामले जाते थे और देर तक रहा करते थे । जब इस तरह की परिस्थितियां आई तो यह तय हुआ कि इसमें ए.आई.सी.टी. का विचार ले लिया जाए कि इन शिकायतों के बारे में उन्हें क्या कहना है। क्योंकि इन मामलों में देर लग रही थी इसलिए बजाय इस असैसमेंट बोर्ड के, एक हाई लैवल कमेटी का निर्माण किया गया ताकि इन मामलों में देर ना लगे, मामले मामले जल्दी निपटें । ए.आई .सी.टी. की रिपोर्ट 3.7.2000 को हाई लैवल कमेटी के सामने आई और उसके निर्णय पर एक समिति बनायी गयी जो इसकी जांच करे जिसमें आई .आई .टी . के प्रोफेसर थे, हमारे डायरेक्टर टैक्नीकल थे, ए.आई.सी.टी. का प्रतिनिधि था और ज्वाइँट सैक्रेटरी, टैक्नीकल ऐजूकेशन थे । उस कमेटी ने जांच की और उस जांच के परिणामस्वरूप ये शिकायते हमारे सामने आयीं जो हमने इसमें दी हैं। इन शिकायतों के संबंध में जांच की गयी, जांच के बाद उसको बुलाया कि आप इसमें अपना पक्ष रखिए, उनका पक्ष सुना गया और उनके पक्ष को सुनने के बाद निर्णय किया गया कि आपको तीन महीने का समय दिया जाता है, आप अपनी इन- इन कमियों को सुधारें अपने कान्सटीट्युशन को बदलें और ऐसा बदलें कि किसी भी तरह से एक व्यक्ति दो टर्म्स से अधिक पदाधिकारी न रहे सके क्यों कि जांच में यह पाया गया था कि वर्षों से कभी पिता तो कभी लड़का-एक फैमिली अफेयर बन गया था, उसको ठीक करने की जरूरत थी । उन्हें कहा गया की आप इसको ठीक करिए और बाकी चीजों के बारें में भी बताया गया कि इनको सुधारिए लेकिन इस आदेश के विरूद्ध कोर्ट में चले गये । कोर्ट में जाने की वजह से मामला विचारधीन है। कोर्ट द्वारा अगली तारीख अक्तूबर की दी गयी है तब तक हम इसमें कुछ निर्णय नहीं ले सकते लेकिन हम यह चाहते हैं कि ऐसे मामलों में जहां इस प्रकार की परिस्थितियां आती है, उनकी पूरी जांच की जाए और इस प्रकार की संस्थाओं को बंद किया जाए । हम ऐसी परीक्षाओं को बंद करने के पक्ष में है जिनमें इस प्रकार की शिकायतें हैं, जहां एक आदमी दो सौ प्रोजैक्ट्स कि जांच करता है और उसकी स्वयं की क्वॉलीफिकेशन क्या है, यह इस संस्था के लोगों को मालूम नहीं है और उन्हें यह मालूम है कि उनके पेपर सैटर्स कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कोचिंग क्लासिज़ चल रही हैं या नहीं । इसलिए हमने यह तय किया है कि इस पर निर्णय लें चूंकि मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है इसलिए इसमें निर्णय लेने में थोड़ी सी कठिनाई है । कोर्ट से मामला तय होते ही हम इसमें अग्रिम कार्यवाही करेंगे और हमें विश्वास है कि कोर्ट भी इन सारी चीजों को देखकर हमारा जो फैसला है, उसको मानेगा और ऐसी संस्थाओं पर अंकुश लगेगा ।

श्री अनिल शर्मा : महोदय, उस इंस्टीटयूशन में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में मैंने मंत्री जी से पूछा था जिसका उत्तर नहीं आया है । दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के अंदर कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें इस तरह की खामियां पाई गयीं और वे इंस्टीटयूशंस कहां-कहां पर हैं और उनके संबंध में सरकार क्या कर रही है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, यह जो आई.एम.ई. है, जो इंस्टीटयूट आफ मैडीकल इंजिनियर्स है, यह स्वयं इस तरह से शिक्षा नहीं देता जिसमें बच्चे पड़ते हों , सामान्य तौर पर यह कॉरसपोंडेंस कोर्स होता है । जब तक इनकी डिग्रीज़ को और डिप्लोमाज़ को मान्यता थी, तब तक तो कोई सवाल ही नहीं उठता था उनको मान्यता प्राप्त थी, उनका काम ठीक था, तब तक तो लोग रहेंगे। अब इस साल से आगे जो उसकी परीक्षाओं में जाएगें, उनको पता होना चाहिए कि अभी हमने उसकी मान्यता स्थगित कर दी है, अभी उसको मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए वे परीक्षा न दें। लेकिन इसमें कोई ऐसा पढ़ने वाला नहीं है जो रैगुलर कोर्स कर रहा हो । बहुत से लोग कहीं और काम करते हैं और अपनी क्वालीफिकेशन को बढ़ाने के लिए आगे आते हैं । कई ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती नहीं हो पाए तो वे सोचते हैं कि इसी तरह से कोर्स कर लें । इसके अतिरिक्त इनका पास परसंटेज बहुत कम है । हमने यह भी देखा कि अगर पचास हजार बच्चे परीक्षा में बैठतें हैं तो केवल पांच हजार पास होते हैं। इनकी परीक्षा प्रणाली में यह भी एक दोष था। इसलिए जैसा मैंने बताया, हम इसको ठीककर रहे हैं। बच्चों का इसमें कोई नियमित अध्यापन नहीं होता है। जहां तक दूसरा सवाल है, इस देश में लगभग 25-30 के करीब ऐसे इंस्टीटयूट्स है जो इस तरह से लोगों की क्वॉलीफिकेशंस को बढ़ाते हैं और सुधारने का मौका देते हैं। अभी और किसी के बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है लेकिन अगर कोई ऐसी संस्था चल रही है और किसी के संबंध में शिकायत आती है तो ए.आई.सी.टी.भी जांच करती है,सरकार की तरफ से भी जांच होती है और उसके ऊपर हम निश्चित रुप से कार्यवाही करते हैं और उनको बताते हैं कि यह मत करो,उनको संभलने का मौका देते हैं। हम दोनों काम करते हैं कि यह शिक्षा चलती भी रहे और संस्थाएं सुधारती भी रहे। अभी व्यापक पैमाने पर किसी और संस्था में ऐसी शिकायत या इससे कम की भी कोई शिकायत नहीं आयी है। उन परीक्षाओं के बारे में भी कोई आपत्ति नहीं आयी है। अगर सम्मानित सदस्य के पास ऐसी कोई शिकायत हो तो हमें बताएं। हम अवश्य उसकी जांच कराएंगे और उसको रोकेंगे।

DR. RAJA RAMANNA: Mr. Chairman, Sir, second-rate institutions in high technology and medium technology are springing up all over the country, especially, in Bangalore, where you get an IT institution in every comer. The question of quality comes up only when the students from these institutions apply, go abroad and bring certain disrespect to Indian training, which has a very high reputation in IT. The quality has gone down because non-qualified people are teaching and holding the examinations. I think the hon. Member has raised a very important point as to who finally decides the quality of such

institutions, which are started by private persons with private money and finally become money-making institutions. Since it has got deep implications on the quality of our technology life, the Minister should make a through examination of the whole problem.

डा.मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, इसमें दो हिस्से हैं, आईटी एज्यूकेशन के लिए एक तो वे संस्थाएं हैं जो एआईसीटी के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम चलाती है। दूसरी वे संस्थाएं हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी से मान्यता प्राप्त कोर्सेज चलाती हैं । इन दोनों की ही समय-समय पर पड़ताल होती है और जब भी शिकायतें होती है, उसके बारे में कड़ाई से जांच की जाती है। एआईसीटी इस रुप में काफी सक्रिय हुई है। एक्रेडिटेशन बोडर्स बनाए गए हैं जो इस बात तो देखेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वालिटीज ठीक रहे। क्वालिटी के बारे में हम भी बहुत चिंतित हैं क्योंकि क्वालिटी से ही इसका बहुत कुछ भविष्य निर्भर करता है इसलिए हमने चेष्टा की है। लेकिन फिलहाल दोनों संस्थाएं जल्दी ही बनी है,हो सकता है कि इनमें कुछ कमियां हों। क्योंकि मैं जानता हूं कि अध्यापकों की काफी कमी है,खासतौर पर इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर। कभी-कभी यह हो जाता है कि जितनी फैकल्टी चाहिए उतनी फैकल्टी नहीं होती । हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पैदा करें, निर्णय करें । स्कीम्स दी गई है , इन्सेंटिव्स दिए गए हैं और इन कमियों को पूरा करने की चेष्टा की जाती है । जब हम ज्यादा कोशिश करते हैं तो अनेक बार सम्माननीय सदस्य आकर हमसे कहने लगते हैं कि साहब, माफ कीजिए जरा इसको देख लीजिए , थोड़ा मौका दीजिए तो उनका भी आदर करना पड़ता है, देखना पड़ता है उनके प्रश्नों को समझना पड़ता है इसलिए कुल मिलाकर एक संतुलित रुप लेना पड़ता है कि शिक्षा का विस्तार भी न रुके और उसकी क्वालिटी भी ठीक रहे । मैं राजा रामण्णा जी की बात से सहमत हूं कि क्वालिटी के मामले में क्यों हमारे बहुत से लोग बाहर जाते हैं इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए । लेकिन मैं यह समझता हूं कि वे बाहर न भी जाएं तो भी भारत के छात्रों की क्वालिटी गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी होनी चाहिए । हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं । इस बारे में जो भी सुझाव क्वालिटी को ठीक करने के लिए सम्माननीय सदस्य हमें देंगे, कि क्या किया जाए, हम वे सारे उपाय अपनाएंगे और एआईसीटी को इन सुझावों से अवगत कराएंगे । मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को भी अवगत कराएंगे । हम चाहते हैं कि इस मामले में हमारी सहायता की जाए ।

DR. M.N. DAS: Mr. Chairman, Sir, I must congratulate the hon. Minister for Human Resource Development for giving a statement of confession on the mal-governance of a famous technology institute. I echo the sentiments expressed by my hon. colleague, Dr. Raja Ramanna. Similar anomalies may exist in other technological institutions all over India. There is a mushroom growth of institutes of the latest technologies all over the country. Unless you regulate them from the very beginning, the quality of the products of such institutions or their credibility in the international market and in the national market will go down. Has the Government contemplated any steps, particularly,

in regard to these institutions, to apprehend the offenders and teach them an exemplary lesson so that such high-level institutions do not resort to this kind of malpractice? Similarly, would you set up high-level Committees to look into the affairs of the technological institutions in the interest of the country?

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और हम इससे पूरी तरह सहमत हैं कि गुणवत्ता के लिए पूरे प्रयत्न किए चाहिए । आप इसी से समझ जाएंगे कि जैसे ही हमारे पास शिकायतें आई हमनें जांच की प्रक्रिया शुरु कर दी । पहले गुणवत्ता की जाच करवाने और इन मामलों का निबटारा करने में देर होती थी क्योंकि एसेसमेंट बोर्ड के अध्यक्ष यू.पी.एस.सी.के चेयरमैन हुआ करते थे, वे बहुत व्यस्त सज्जन हैं, उनके पास बहुत काम है, वे ऐसे अधिकारी हैं जोर केवल इसी मीटींग के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं निकाल सकते हैं इसलिए उस व्यवस्था को भी बदला गया है और एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई । इसका यह काम है कि वह ऐसी तमाम चीजों पर ध्यान दे, जांच कराए और शिकायतें आने पर उनका फैसला करें । आपने यह भी देखा है कि हमारे पास शिकायतों की रिपोर्ट तैयार है, मैं आपको डेट दे सकता हूं, हमने इसमें कोई बहुत ज्यादा देर नहीं की । 27 सितम्बर, 2000 से जांच शुरु की गई , 29 दिसम्बर 2000 को रिपोटर्स दे दी गई और 27 अप्रैल,2001 को हाई लेवल कमेटी ने कहा कि आई.एम.ई. के पक्ष को सुना जाए । उनका पक्ष सुना गया और 9 मई , 2001 को हाई लेवल कमेटी, में उन्हे फिर बुलाया गया और सुनने के बाद यह कहा गया कि आपको तीन महीने का समय दे रहे हैं , आप इसमें सुधार कर लीजिए लेकिन वे कोर्ट में चले गऐ । आप देखेंगे कि इन तीन-चार महीनों में हमने पूरी कोशिश की है इसे रोकें । ए.आई.सी.टी. को भी ये हिदायतें दी गई है कि वह संस्थाओं को खोलने के बाद नियमित रुप से उनकी जांच कराने की व्यवस्था करे । ए.आई.सी.टी. एक स्वायत्तशासी संस्था है, ऑटोनोमस संस्था है । वह इस बारे में अपनी प्रक्रिया शुरु करेगी । हम उसे इस बात से भी अवगत कराएंगे की सदन की चिंता इस विषय में काफी गंभीर है । मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए ।

प्रो. रामबख्त सिंह वर्मा : माननाय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इसके संदर्भ में शासन ने इस इंस्टीटयूशन की जांच कराई है और उसमें कुछ खामियां और कमियां पाई गई हैं । जांच के बाद निर्देश दिया कि इन खामियों को दूर कर दिया जाए और इसी के बाद यह संस्था कोर्ट में चला गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस कोर्ट मे संस्थान ने शासन के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका दायर की है ? उन्होंने याचिका में आधार क्या बनाया है? क्या शासन को कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई निर्देश मिला है ? क्या शासन की तरफ से उचित पैरवी की व्यवस्था की गई है ?

डा. मुरली मनोहर जोशी: हमारे जो आदेश था उसके विरुद्ध कोर्ट की तरफ से हमें जो आदेश मिला है वह केवल इतना है कि जो आदेश हमने उन्हे दिए हैं वे कोर्ट की अगली हियरिंग तक गजट में न छापे जाएं । हमारे आदेश को उन्होंने प्रतिबंधित नहीं किया है । हमारी पैरवी बहुत अच्छी तरह से हो रही है । उसी के कारण हमने उन्हें यह कहा है कि आपको इस परीक्षा की मान्यता नहीं है । यह परीक्षा हमारी तरफ से सरकारी नौकरियों के लिए अवैध है । ये आदेश हम उन्हें दे चुके हैं । हमारी तरफ से कोर्ट में पूरी पैरवी होगी । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है । वह पूरी पैरवी करेगी और देखेगी की न्याय मिले ऐसी संस्थाओं को दंडित कर सकें ।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Mr. Chairman, Sir, I would like to tell the Minister of Human Resource Development that this sort of incidents do not require any particular example. Since the Government has decided to go in for an extensive and indiscriminate privatisation of education, education has become a very lucrative business and many people are investing huge money in the field of education and are earning a huge money by imparting education to the people, particularly technical and medical education. I would like to know from the hon. Minister whether it is an essential fall out of such an indiscriminate and rampant privatisation of education in this country. Secondly, so far as the AICTE is concerned, the rules and regulations are such that there are many loopholes because of which these technical institutions are able to reap maximum advantage at the cost of common students and their guardians.

Sir, the people, who cannot spend lakhs of rupees on their children's education, get lured by such technical institutions. They put their children into such colleges so that they get educated in some technical field. But, unfortunately, the people are swindled by such technical institutions which are spread all over the country. Their number is glaring in the South, particularly in Andhra Pradesh and Bangalore. Dr. Ramanna has rightly said that in every corner of the city in Bangalore, there is a technical institution. Their rules and regulations are so relaxed that they take the maximum advantage out of the situation. I would like the hon. Minister to respond to this.

डा. मुरली मनोहर जोशी : जहां तक ए.आई.सी.टी.ई.के नियमों और कार्यप्रणाली का प्रश्न है, उसमें इस बात की व्यवस्था है कि अच्छी तरह जांच होने के बाद, विशेषज्ञ समितियों की जांच होने के बाद, राज्य सरकार की तरफ से नो – ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद , उनकी सिफारिश आने के बाद और अगर वह किसी विश्वविद्यालय से संबंधित संस्था है तो फिर उस विश्वविद्यालय की तरफ से नो-ऑबजक्शन आने के बाद हम उस पर यहां विचार करते हैं । यहां से टीम जाती है और वह उसके बारे में रिपोर्ट देती है कि उनमें क्या कमियां हैं । यह उनको बताया जाता है और उसको

सुधारने का मौका दिया गया है । उसके बाद उन्हें वाइबिलिटी दी जाती है कि अब आप काम शुरू कर सकते हैं। साल, दो साल काम करने के बाद फिर उसका निरीक्षण किया जाता है। बहुतों की हम संख्या घटाते हैं। बहुत से मामले ऐसे हैं जहां पहले 60 छात्रों की अनुमति दी गई थी, उनको घटा कर 40 किया गया है। इसलिए किया गया है कि हमने देखा है कि उनके पास पूरी व्यवस्था इस काम को चलाने की नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि व्यवस्था ठीक हो। ये दो काम हमें एक साथ करने हैं, इनमें एक है टेक्नीकल एजूकेशन का विस्तार करना। बहुत से ऐसे देश हैं जहां हजार पर 40,50,60 इन्जीनियर्स हैं, 70 इंजीनियर्स हैं जब कि हमारे देश में 2,3 या 4 इंजीनियर्स मिलते हैं। एक तो यह संख्या पूरी करनी है और दूसरा टेक्नीकल एजूकेशन को आगे बढ़ाना है। यह भी एक बड़ा काम है और इसके लिए अगर लोग सामने आते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं देश इस क्षेत्र में आगे बढ़े। यह भी है कि कुछ स्थानों पर लोगों ने इसको व्यापार बनाने की चेष्टा की है। लेकिन इसको हम रोकते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। इस बारे में जो शिकायतें आती हैं उनकी हम जांच करते हैं। मैंने जैसा कहा है अगर किसी भी संस्था के बारे में कोई शिकायत किसी भी माननीय सदस्य के पास हो तो वह उसे हमें दें, हम उसकी जांच करायेंगे और अगर उसने नियमों का उल्लंघन किया है, क्वालिटी के साथ खिलवाड़ किया है तो अवश्य ही हम उसके ऊपर पूरी कार्यवाही करेंगे, निगरानी करेंगे। हम इसमें सतर्क हैं, सचेष्ट हैं। जो संस्थायें बढ़ती हैं, कुछ दिनों तक उनको विस्तार देना भी जरूरी है। हम आई.टी. के क्षेत्र में विशेषज्ञों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दो प्रकार की संस्थायें हैं। जैसा मैंने कहा एक तो वे जो हम चलाते हैं, जैसे हमारे आई.आई.टी. हैं, रीजनल इंजीनियरिंग कालेज हैं। उनकी गुणवता हमने एक बेंच मार्क के तौर पर रखी है और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त है। हम उन लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी गुणवत्ता बढ़ायें। जैसा मैंने बताया कि कुछ कोर्सेज, जिनको हमारी इन्फर्मेशन टेक्नालॉजी की दृष्टि प्राप्त है, वह उनकी जांच करते हैं, हम भी अपनी तरफ से जांच करते हैं। इसमें हम हमेशा खुले हैं, खुला दिमाग है और जब भी कोई शिकायत आएगी हम उसकी पूरी जांच करेंगे। इस बात की भी कोशिश है कि इसको व्यापार का साधन न बनाया जाए। दोनों में संतुलन बनाने की जरूरत है। हमें कम्युनिटी के इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है और उसकी क्वालिटी की भी जरूरत है। तो एक्सेसेबिलिटी,क्वालिटी एंड इंवेस्टमेंट, इन तीनों का समन्वय करना है। अगर इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं तो किसी की क्वालिटी करेंगे, किसी की एक्सेबिलिटी करेंगे। तो हमें इन तीनों चीजों की तरफ ध्यान देना है औऱ अभी जो पालिसी है वह इन तीनों चीजों को इन्टीग्रेट करने की है कि हमारे देश में ये इन्वेस्टमेंट आएं। यहां के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यह अच्छी बात है और अधिकांश मैं देखता हूं कि आन्ध्र और कर्नाटक, जहां का आपने उदाहरण दिया, हमारे अनेक सम्मानित सांसद उनके साथ जुड़े हुए हैं, अनेक विधान सभाओं के सदस्य उनसे जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि वे इस मामले में पूरा ध्यान देंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि सदन की किस प्रकार की भावना है और किस प्रकार से लोग चाहते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि इस मामले में कोई कोताही नहीं होगी। हां, हम आपकी

सहायता चाहेंगे कि कहीं से भी अगर आपको शिकायत मिले, आप हमें उसे जरूर बतायें, हम उसकी जांच करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पर कार्यवाही की जाए।

श्री सतीश प्रधान : सभापति जी, कल मुंबई के लोकसत्ता में एक न्यूज पब्लिश हुई है कि मुंबई के स्कूलों के रिजल्ट लग गए, एडमिशन हो गया, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, सबका।

हाई कोर्ट ने कल उसके लिए स्टे आर्डर दे दिया है। घटना ऐसी घटी कि जो रिज़ल्ट लगे उसमें कंप्यूटर की फीडिंग में कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ। वह कोर्ट में गये थे। इन सब विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ, यह साबित होने के बाद कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि इन सभी विद्यार्थियों को जिनके साथ अन्याय हुआ है, एडमिशन देने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा कहने के बाद कोर्ट ने उसके लिए स्टे आर्डर दे दिया। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस विषय में जिन विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करने के बारे में सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी? मैं इतना ही जानना चाहता हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, यदि सम्मानित सदस्य इस घटना के बारे में सारे तथ्य हमें देंगे तो हम अवश्य जांच कराएंगे।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, the Institution of Mechanical Engineers conducts examinations without having any regard for rules or procedures. Even certificates given are bogus and backdated. I am mentioning here a specific case of a certificate issued to Shri Mahesh Kumar Gupta, roll number 4215. The certificate was issued to him in June, 1980, mentioning the date of examination as October, 1981. So, it is a backdated certificate. Secondly, there is the problem of validity of certificates of those students who had passed between May, 1979 and October, 1981. This institution had no authority to conduct any examination during this period. I would like to know from the Minister as to what steps he contemplates for putting an end to this disgraceful State of affairs going on in this institution.

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदया, मैंने जैसे पहले बताया है, इस संस्था के पास बहुत- सी चीज़ो का रिकार्ड ही नहीं है। हमने इस बारे में जांच करने की कोशिश की है लेकिन उनके पास रिकार्ड ही नहीं है। यह बहुत पुरानी संस्था है, बहुत पहले से चल रही है, इसके बारे में अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहली बार हमारे पास शिकायत आई तो हमने इसमें गहराई से छानबीन की है। ऐसे सारे मामले जहां हम देखेंगे कि वास्तव में संस्था की गलती है, छात्र की गलती नहीं है तो कोई न कोई समिति बना कर उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। आप इस तथ्य को भेजें तो हम इसकी जांच कराएंगे। लेकिन उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है, सबसे बड़ी कठिनाई यह है। हमने जो जवाब दिया है उसमें बताया है कि उनके पास रिकार्ड नहीं मिल रहा है। बीच में एक साल उनकी

मान्यता वापस की गई थी फिर उनकी मान्यता रिस्टोर की गई। जो असेस्मेंट बोर्ड था उसकी तरफ से एक साल तक रोक कर फिर मान्यता वापिस की गई। इसलिए 1981 के बाद फिर उनके परीक्षा लेने का अधिकार मिला हुआ है और वह चल रहा है। हमारे पास जैसे ही शिकायत आई, उस पर हमने काम शुरू किया और आगे भी यदि कोई तथ्य हमारे सामने लाए जाएंगे तो हमारी ओर से निश्चित रूप से पूरी तरह से जांच की जाएगी।

Funds to States under National Agriculture Insurance Scheme

*363. SHRI GANDHI AZAD: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the State Governments are implementing New agriculture Policy-2000; and

(b) if so, how many States have availed of funds on account of National Agriculture Insurance Scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): (a) and (b)A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The first ever National Agriculture Policy was announed in July, 2000. Various Central Sector and Centrally Sponsored Schemes are being implemented by the Government of India and the State Governments for development of agriculture and allied activities as envisaged in the Agriculture Policy. Several major initiatives have been taken in the recent past to accelerate the pace of development and implement the objectives of the National Agriculture Policy, such as introduction of the Macro Management Scheme, preparation of common guidelines for Watershed Development Programmes, creation of Watershed Development Fund with a corpus of Rs. 200 crore, launching of a Technology Mission for the Integrated Development of Horticulture in North Eastern States, introduction of a Scheme for seed crop insurance, establishment of a Seed Bank, measures for increasing the availability of farm credit, introduction of a subsidy linked credit scheme for construction/modernization and expansion of cold storages and storages for horticulture produce, expansion of the corpus of the Rural Infrastructure Development Fund, launching of a Market Information Network and promotion of value addition in agriculture through excise exemption and other interventions.